भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 125
सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

तमिलनाडु में कार्यरत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान

125. श्री जी. सेल्वमः
श्री सी. एन. अन्नादुरईः
श्री नवसकनी के.:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु राज्य में कार्यरत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) का ब्यौरा तथा उनकी संख्या क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएसटीआई द्वारा आवंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा तमिलनाडु राज्य में औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु निधियों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन लेने वाले छात्रों की संख्या क्या है;
(ङ) क्या प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कोई विशिष्ट उपाय किए गए हैं;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य में पीएमकेवीवाई के विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से कितने लोग नियोजित किए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) "राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान" (एनएसटीआइज) प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा संचालित प्रमुख संस्थान हैं। एनएसटीआइज मुख्य रूप से शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआइज) के लिए अनुदेशक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए बनाई गई योजना है, संचालित करता है। इस योजना का उद्देश्य आईटीआइज में छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की तकनीकों से परिचित कराने हेतु अनुदेशक प्रशिक्षणार्थियों को 'व्यावहारिक' कौशल के साथ-साथ 'प्रशिक्षण पद्धति' दोनों में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना है। तमिलनाडु में दो एनएसटीआइज हैं, एक चेन्नई में और एक एनएसटीआई, महिलाओं के लिए त्रिची में स्थित है। ये एनएसटीआइज शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) के तहत पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत कुछ पाठ्यक्रम भी इन एनएसटीआइज में चलाए जाते हैं। इन एनएसटीआइज तथा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम का विवरण अनुबंध-। में दिया गया है। उपरोक्त अनुबंध डीजीटी वेबसाइट https://dgt.gov.in/LSQ/LSQuesNo125.docx पर उपलब्ध है।

(ख) देश में कुल 33 एनएसटीआइज हैं। पिछले तीन वर्षों में एनएसटीआइज को आवंटित कुल निधि 679.91 करोड़ रुपये थी और एनएसटीआइज ने 589.98 करोड़ रुपये का उपयोग किया। इसमें से 52.32 करोड़ रुपये तमिलनाडु में एनएसटीआइज को आवंटित किए गए। तमिलनाडु में एनएसटीआइज ने इस आवंटन में

से लगभग 50.20 करोड़ रुपये का उपयोग किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देश भर के एनएसटीआइज को 287.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से 24.02 करोड़ रुपये तमिलनाडु में एनएसटीआइज को आवंटित किए गए हैं। तमिलनाडु सहित एनएसटीआइज में कुल निधि आवंटन और निधियों के उपयोग का विवरण अनुबंध II में दिया गया है। उपरोक्त अनुबंध डीजीटी वेबसाइट https://dgt.gov.in/LSQ/LSQuesNo125.docx पर उपलब्ध है।

(ग) डीजीटी ने 'औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण' (स्ट्राइव) परियोजना आईटीआइज और शिक्षुता के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य के साथ क्रियान्वित किया है, जो विश्व बैंक द्वारा सहायित परियोजना थी। यह परियोजना विश्व बैंक के परिणाम (पी4आर) आधारित कार्यक्रम श्रेणी के अंतर्गत आती है, जो परिणाम आधारित वित्तपोषण सुनिश्चित करती है और इसकी अवधि 2017-2024 (31 मई) थी।

तमिलनाडु राज्य को स्ट्राइव के तहत कुल 37.83 करोड़ रुपये जारी किए गए। इस परियोजना ने तमिलनाडु में 32 आईटीआइज (29 सरकारी और 03 निजी) को अपग्रेड करने में सहायता की है। इसके अलावा, 15 उद्योग समूह लाभान्वित हुए हैं एवं राज्य में कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्षमता निर्माण किया गया। तमिलनाडु राज्य सरकार कुल जारी राशि में से 37.80 करोड़ रुपये का उपयोग करने में सक्षम थी।

एमएसडीई के तहत डीजीटी ने "मौजूदा सरकारी आईटीआई को मॉडल आईटीआई में उन्नयन" योजना भी लागू की। इस योजना के तहत, तमिलनाडु में एक आईटीआई (सरकारी आईटीआई, कोयंबटूर) को उन्नयन करने के लिए चुना गया था। सर्वोत्तम अभ्यासों, कुशल और उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण वितरण तथा टिकाऊ, प्रभावी उद्योग संबंधों को प्रदर्शित करने वाले मॉडल आईटीआइज को उत्कृष्टता केन्द्रों में रूपांतरित कर दिया गया है। 31 मार्च, 2024 को योजना की समाप्ति, योजना के तहत तमिलनाडु राज्य को 3.995 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(घ) वर्तमान में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के अंतर्गत 796 जॉब-रोल/व्यवसाय हैं, जिनमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन व्यवसायों में उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्योन्मुखी और पारंपरिक जॉब-रोल शामिल हैं। 30-जून-24 तक एसआईपी रिपोर्ट के अनुसार पीएमकेवीवाई जॉब रोल-वार अद्यतन नामांकन अनुबंध-III में दिया गया है। उपरोक्त अनुबंध डीजीटी वेबसाइट https://dgt.gov.in/LSQ/LSQuesNo125.docx पर उपलब्ध है।

(ड.) तथा (च) पीएमकेवीवाई 4.0 योजना को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के व्यय वित्त आयोग (ईएफसी) के अनुमोदन के अनुसार वर्ष 23-24 से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), महिलाएं और अन्य वंचित समुदाय कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएं तथा अंततः लाभकारी वेतन एवं स्वरोजगार तक पहुंच की सुनिश्चितता द्वारा समावेशिता में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, विशेष महिला समूहों तथा दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) एवं सामान्य मानकों में परिभाषित विशेष क्षेत्र के व्यक्तियों को विशेष क्षेत्रों के भीतर और बाहर प्रशिक्षण के लिए बोर्डिंग तथा आवास एवं परिवहन की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा, विशेष परियोजनाओं के तहत परियोजनाएं/प्रशिक्षण महिलाओं जैसे हाशिए पर पड़े और कमजोर समूहों को लक्षित करके आवासीय प्रशिक्षण के साथ शुरू किए जा सकते हैं। सामान्य मानकों के अनुसार गैर-आवासीय प्रशिक्षण के मामले में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए वाहन सुविधा अनुमेय होगी। 30-जून-24 तक पीएमकेवीवाई जॉब रोल-वार अद्यतन महिला नामांकन अनुबंध-IV में दिया गया है। उपरोक्त अनुबंध डीजीटी वेबसाइट https://dgt.gov.in/LSQ/LSQuesNo125.docx पर उपलब्ध है।

(छ) 30-जून-24 तक पिछले 3 वित्तीय वर्ष के दौरान तमिलनाडु में पीएमकेवीवाई जॉब रोल-वार रिपोर्ट किए गए अद्यतन नियोजन अनुबंध-V में दिया गया है। उपरोक्त अनुबंध डीजीटी वेबसाइट https://dgt.gov.in/LSQ/LSQuesNo125.docx पर उपलब्ध है।

*****